न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/174/2024 रजू दिनांकः 27.12.2024 रजि0 न0 2024/292

अपीलार्थीः–

श्री राजेश कुमार यादव पुत्र सुरजभान, निवासी ग्राम ढाणी डाबडवास, पोस्ट डाबडवास, तहसील माढण–301704, जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राजस्थान)

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 14.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 13.11.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 31.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्रांक लो.सू.अ/प्रथम अपील/2025/25 दिनांक 10.01.2025 प्रेषित कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 13.11.2024 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने/विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने बाबत सूचित किया है के संबंध में उल्लेखनिय है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन के परिपेक्ष्य में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर, अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित सूचना कार्यालय पत्रांक लो.सू.अ./RTI/2024/3040 दिनांक 30.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। अन्य कोई सूचना/कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि सूचना आवेदन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पूर्व पत्रांक लो.सू.अ./2024/RTI/3040 दिनांक 30.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/26 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा पूर्व प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को पंजीकृत–पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)